Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट,

➢ अजमेर मे ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भिलावट पंचायत समिति किशनगढ–सिलोरा को 5500/– रुपये रिश्वत लेते पकडा गया।

जयपुर, 21 जनवरी 2026, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **मूल सिंह ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मिलावट, पंचायत समिति किशनगढ–सिलोरा जिला अजमेर** परिवादी की पत्नि के नाम का पुश्तैनी पट्टा बनाने की एवज में परिवादी से रिश्वत राशि **5500/– रूपये** प्राप्त किये जो रिश्वत राशि बरामद की जाकर रंगे हाथों पकडा गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. अजमेर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी द्वारा परिवादी की पत्नि के नाम का पुश्तैनी पट्टा बनाने की एवज में 7000/– रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। दिनांक 12.01.2026 को रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया जिसमें 5500/– रूपये रिश्वत दिया जाना तय हुआ।

जिस पर एसीबी अजमेर रेन्ज के **पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी अजमेर की **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना भाटी** के नेतृत्व में आज **श्रीमती मीरां बेनीवाल निरीक्षक पुलिस** एंव टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मूल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मिलावट को 5500/– रूपये की रिश्वत लेते हुये पकडा गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामलें मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।